भारत सरकार
केन्द्रीय सतर्कता आयोग

GOVERNMENT OF INDIA
CENTRAL VIGILANCE COMMISSION

सतर्कता भवन,
जी.पी.ओ. कॉम्पलैक्स, आई.एन.ए.
नई दिल्ली–110023
Satarkta Bhawan
G.P.O. Complex, Block A, INA
New Delhi 110023

21 अक्तूबर, 2009

संदेश

केन्द्रीय सतर्कता आयोग 03 नवम्बर से 07 नवम्बर, 2009 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह का अनुपालन कर रहा है ।

इस वार्षिक अनुपालन का उद्देश्य, भारतीय समाज में से भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने की सरकार की वचनबद्धता की पुन:पुष्टि करना है । अभिशासन में नीतिशास्त्र एक ऐसा मुद्दा है जिस पर लोक सेवकों तथा नागरिक समाज द्वारा निरन्तर आत्मविश्लेषण किए जाने की आवश्यकता है । भ्रष्टाचार की पहचान एक सामाजिक बुराई के रूप में की जानी चाहिए तथा भ्रष्ट आचरण में लिप्त लोगों की पहचान की जानी चाहिए, उन्हें हटाया जाना चाहिए तथा दंडित किया जाना चाहिए ।

आयोग, पिछले काफी समय से, भ्रष्ट आचरणों के लिए सुभेद्य सार्वजनिक प्रापण तथा सार्वजनिक व्यवहार के क्षेत्रों में उत्तम अभिशासन प्रक्रियाओं की पहचान करने तथा उनका प्रचार करने के कार्य में जुटा हुआ है । प्रौद्योगिकी का व्यापक प्रयोग करने के माध्यम से सरकारी निकायों के क्रियाकलापों में पारदर्शिता लाने के लिए आयोग ने अनेक दिशानिर्देश जारी किए हैं । ई-अभिशासन, सरकारी कर्मचारियों के साथ जनता के सम्पर्क को न्यूनतम करने की कुंजी है तथा अनियमित व्यवहारों में लिप्त होने के अवसर को न्यूनतम करने का एक साधन है । इस दिशा में की गई विभिन्न पहलों से नागरिकों को अवगत कराने के लिए सभी विभागों तथा संगठनों के अध्यक्षों की ओर से इस सप्ताह के दौरान एक सचेत प्रयास किए जाने की आवश्यकता है ।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह का प्रयोग, सर्वांगी सुधार लाने के लिए नवीन नीतियां बनाने के एक अवसर के रूप में भी किया जाना चाहिए । निवारक सतर्कता को आवश्यक रूप से दंडात्मक सतर्कता से पहले आना चाहिए । एक अधिक दक्ष तथा पारदर्शी रीति से सेवाएं प्रदान करने हेतु सुझाव आमंत्रित करते हुए, जनता को अभिशासन में पणधारी बनाने का प्रयास सरकार को करना चाहिए ।

सरकारी कर्मचारियों द्वारा कदाचार किए जाने के उदाहरणों की रिपोर्ट करने हेतु नागरिकों को आमंत्रित करने अथवा वर्तमान प्रणालियों में किसी भी कमी की रिपोर्ट करने को आयोग द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है । "लोकहित प्रकटीकरण तथा मुखबिर संरक्षण, संकल्प", इस दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है । सतर्कता जागरूकता सप्ताह को इस संदेश के साथ नागरिकों तक पहुँचने के एक सुअवसर के रूप में लेना चाहिए कि इन मौकों का उत्तम प्रयोग करें । इसके साथ-साथ, लोक सेवकों को ठोस तथा उत्तम व्यवहारों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना चाहिए ।

आयोग को यह विश्वास है कि सतर्कता जागरूकता सप्ताह का अपेक्षित उत्साह तथा जोश के साथ अनुपालन किया जाएगा तथा यह एक भ्रष्टाचार मुक्त समाज के इसके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्र को नजदीक लाएगा ।

ह0/-
(सुधीर कुमार)
सतर्कता आयुक्त

ह0/-
(रंजना कुमार)
सतर्कता आयुक्त

ह0/-
(प्रत्यूष सिन्हा)
केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त